UPEW010081152025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code– UP01632)

Arbitration Execution No. 144/2025

Kunwar Singh and Ors. Vs. NHAI

दिनांकः 22.04.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 09.03.2026 द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी से गणना रिपोर्ट आहूत की गयी थी, जिसके अनुपालन में अपर जिलाधिकारी, इटावा द्वारा गणना रिपोर्ट कागज सं० 32ग प्रस्तुत की गयी।

2. प्रार्थीगण/डिक्रीदारान की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा गणना रिपोर्ट कागज सं० 32ग के विरुद्ध आपत्ति कागज सं० 33ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण का मौजा कोकपुरा परगना व जिला इटावा में गाटा सं० 168 मि० चौड़ीकरण में लिया गया रकवा 715 हे0 यानी 715 वर्गमीटर का 1/2 भाग प्रार्थीगण का पड़ता है जिसमें 715 का 1/2 भाग बराबर 357.5 वर्गमीटर है जिसका कानपुर मण्डल आर्बीटेशन के दिनांक 24.01.2022 में पारित आदेश 21000 रू० प्रति वर्गमीटर का दो गुना प्रतिकर देय है। क्रमानुसार 357.5 ×21000×2 बराबर, 357.5× 42000 प्रति वर्गमीटर बराबर 15015000 रुपया प्रति वर्गमीटर बनता है। जिस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रकाशन दिनांक 27.07.2017 के प्रतिकर निर्धारण होना है, जिस पर 12 प्रतिशत की दर से 100 प्रतिशत सोलेशियम के हिसाब से निर्धारण किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी इटावा ने दिनांक 25.06.2018 को आदेश पारित किया है। 9 प्रतिशत व 15 प्रतिशत के हिसाब से प्रार्थीगण की आवासीय दर 21000 रू० प्रति वर्गमीटर की दर से धारा 3(ए) के प्रकाशन दिनॉक 27.07.2017 से संपूर्ण व्याज दर 9 प्रतिशत व 15 प्रतिशत की गणना पत्र के अनुसार परवाना जारी किया जाय जो कि सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी इटावा ने नहीं किया है। विधि द्वारा बनायी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत धारा 80 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 80 (1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण 15 प्रतिशत ब्याज पाने के पूर्ण अधिकारी है। अर्जन वर्ष 27.07.2017 का है जिसका एवार्ड दिनांक 25.06.2018 का सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी का है जिसका पंचाट आदेश दिनांक 24.01.2022 को हो चुका है जिसमें भूमि का रेट 21000 रूपया निर्धारण किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध माननीय जनपद

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.04.22 15:12:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायाधीश इटावा ने दिनांक 04.10.2023 में पुष्टीकृत किया हुआ है। इस आदेश के विरूद्ध निर्णीत ऋणीगण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दायर की जो कि दिनॉक 30.09.2024 को खारिज हुयी है। जिसमें 15 प्रतिशत ब्याज के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। निर्णीत ऋणीगण द्वारा मा० न्यायालय के आदेशों की अवहेलना जानबूझ कर की जा रही है। निर्णीत ऋणीगण को ब्याज की गणना विधि के अनुसार किया जाना चाहिये, जिसमें 9 प्रतिशत ब्याज का आकलन नियमानुसार नहीं किया गया है और जो 12 प्रतिशत ब्याज की गणना की गयी है, वह भी केवल 344 दिन की गणना है जो एक वर्ष की होना चाहिये। गत पिछले वर्ष दिनांक 11.12.2023 को सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी ने 12 प्रतिशत की गणना कुल दिन 1441 दिन का ब्याज 27 लाख रुपया लगाया था जो कि सही था। लेकिन इस आख्या दिनांक 09.03.2026 को सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी ने मात्र 344 दिन का 8,49,067 रू० लगाया है जो कि कतई गलत है व अस्वीकार है। विधि के अनुसार गणना में 15 प्रतिशत ब्याज की धनराशि की गणना नियमानुसार धारा 80 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की जाना चाहिये जो कि गणना नहीं की गयी है। ब्याज की गणना होना न्यायहित में जरूरी है। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पारित रिट सी० सं० 32019/2024 फतेह बनाम यूनियन आफ इन्डिया में दिनांक 25.11.2024 को पारित आदेश केवल उसी अपील के लिये प्रकरण में लागू होता है। प्रार्थी के निष्पादन पर लागू नहीं होता है क्योंकि प्रार्थी का इजराय वाद सं० कानपुर जिला जज कानपुर के यहां दिनांक 04/01/2024 को दाखिल किया गया था, जिसका इजराय वाद सं० 03/2024 है जो कि फतेह बनाम यूनियन आफ इन्डिया के आदेश से पहले प्रार्थीगण की इजराय दायर हो चुकी है। इसलिये प्रार्थीगण की इजराय फतेह बनाम यूनियन आफ इन्डिया के आदेश दिनांक 25.11.2024 से पहले की है जो कि प्रभावित नहीं होती है न इस निष्पादन पर बन्धनकारी प्रभाव रखती है। उपरोक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होना कहा गया है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पत्रावली या न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत इजराय कानपुर जिला जज के यहां से स्थान्तरित होकर इटावा जिला जज के स्थान्तरित हुयी जिसका इजराय वाद सं० 144/2025 का निस्तारण/भुगतान श्रीमान जी के यहां से होना है। अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी इटावा द्वारा प्रस्तुत की गयी गणना पंचाट आदेश के दिनांक 24.01.2022 के अनुसार मय व्याज 15 प्रतिशत का न किये जाने के कारण अमान्य है और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। निर्णीतऋणीगण शुरू से ही इस इजराय वाद की जानकारी रखते हैं और कोई भी आपत्ति न्यायालय में अभी तक दाखिल नहीं की है। अतः अब इजराय वाद में आपत्ति करने का कोई अधिकार भी नहीं है। ब्याज के सम्बन्ध में धारा 69 व 80 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्राविधान लागू है। पत्रावली में पत्र दिनाँक 11.12.2023 की गणना अपर जिलाधिकारी इटावा द्वारा की गयी है जिसमें 12 प्रतिशत का ब्याज 1441 दिन का ब्याज 27 लाख रूपया

लिखा है जो पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रस्तुत निष्पादन में भुगतान अवरोध दूषित मनोवृत्ति से किया जा रहा है। चूँकि निर्णीत ऋणी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे है। लिहाजा उनके बैंक एकाउन्ट को कुर्क /सीज कर भुगतान कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि निर्णीत ऋणीगण का कोटक महेन्द्रा बैंक यूनिट 5.6 फ्रेन्डस सेक्टर 38/4 बी संजय पैलेस आगरा खाता सं० 2312026853 सीएएलए(काला) ए०डी०एम० इटावा संपत्ति से निष्पादन में कुर्क व नीलाम /सीज करके भुगतान कराने की कृपा की जाये।

3. उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध विपक्षी की ओर से प्रति आपत्ति कागज सं० 34 ग दाखिल कर कथन किया गया है कि डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 18.03.2026 गलत, मनगढंत, बेबुनियाद व विधि विरूद्ध है अतः स्वीकार नहीं है। आपत्ति दिनांक 18.03.2026 के पृष्ठ 2 पर टंकित चार्ट में दी गयी गणना गलत व अविधिक है, अतः स्वीकार नहीं है। आर.एफ.सी.टी.एल.आर.एक्ट 2013 की धारा 80 के अन्तर्गत दिया गया ब्याज अधिरोपित किये जाने का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किये गये अर्जन पर लागू नहीं होता। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एक विशेष अधिनियम है जो सभी अन्य अधिनियमों पर Over Riding Effect रखता रखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार/ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कठिनाईयों को दूर करने के सम्बन्ध में Government Order दिनांक 08.08.2015 निर्गत किया गया। यह स्पष्ट होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत होने वाले अर्जन के सम्बन्ध में प्रतिकर की गणना हेतु आर.एफ.सी.टी.एल.आर.एक्ट 2013 के शेड्यूल I, II, & III को एडाप्ट किया गया। उक्त के अतिरिक्त आर.एफ.सी.टी.एल.आर.एक्ट 2013 का कोई भी अन्य प्रावधान (यथा धारा 80) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पर लागू नहीं होता। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सर्वप्रथम रिट सी संख्या 11417/2023 बलवान सिंह एवं एक अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य तथा रिट सी संख्या 18478/2023 विकास गोयल आदि बनाम भारत संघ आदि में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2023 पारित कर धारा 80 आर. एफ. सी. टी. एल. आर. एक्ट 2013 का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले अधिग्रहण पर लागू होना अवधारित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2023 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव पिटिशन डायरी संख्या 2131/2024 व डायरी संख्या 8422/2024 दाखिल की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2023 के प्रभाव को स्थगित कर दिया है। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट सी संख्या 3219/2024 फतेह मोहम्मद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट सी संख्या 37038/2025 श्री बिक्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व 5

अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिविल रिवीजन डिफेक्टिव संख्या 09/2023 नेशनल हाईचे अथारिटी ऑफ इण्डिया बनाम विश्व प्रताप सिंह में पारित आदेशों के अनुपालन में 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपत्ति संधारणीय नहीं है। 12 प्रतिशत प्रतिकर की गणना धारा 3 ए के प्रकाशन की तिथि से अभिनिर्णय की तिथि तक ही दिया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त कारणों एवं आधारों पर डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 18.03.2026 संधारणीय नही है। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रति आपत्ति में दिये गये कारणों एवं आधारों पर गणना पर प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 14.03.2026 संधारणीय न होने के कारण निरस्त किया जावें।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा गणना रिपोर्ट कागज सं० 32 ग में ब्याज की गणना नहीं की गयी है तथा ब्याज की गणना न करने के सम्बन्ध में अंकित किया गया है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगरा के पत्र सं०–3207 दिनांकित 18.11.2025 में मूलतः उल्लिखित है कि ब्याज के सम्बन्ध में धारा–72 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के मामलों में किसी प्रकार से लागू नहीं है, न ही उक्त प्रावधान के अन्तर्गत उन्हें ब्याज देने की शक्ति प्रदान की गयी है क्योंकि धारा–72 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अध्याय–8 के अन्तर्गत आता है जोकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ब्याज के आगणन के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन पारित किया गया है जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी सं०–32019/2024 फतेह बनाम यूनियन आफ इण्डिया में स्थगन आदेश पारित किया गया है उपरोक्त के क्रम में प्रकरण में ब्याज की गणना नहीं की गयी है।

6. डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वे धारा–72 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

7. निर्णीतऋणीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि धारा–72 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों से सम्बन्धित है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है।

8. जहाँ तक धारा–72 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम लागू होने का प्रश्न है, यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***Union of India v. Tarsem Singh, (2019) 9 SCC 304*** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि-

"47. It is only when this Ordinance lapsed that the Notification dated 28–8–2015 was then made under Section 113 of the 2013 Act. This notification is important and states as follows:

"MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, 28–8–2015

S.O. 2368(E).—Whereas, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as "the RFCTLARR Act") came into effect from 1–1–2014;

And whereas, sub–section (3) of Section 105 of the RFCTLARR Act provided for issuing of notification to make the provisions of the Act relating to the determination of the compensation, rehabilitation and resettlement applicable to cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule to the RFCTLARR Act;

And whereas, the notification envisaged under sub–section (3) of Section 105 of the RFCTLARR Act was not issued, and the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2014 (9 of 2014) was promulgated on 31–12–2014, thereby, inter alia, amending Section 105 of the RFCTLARR Act to extend the provisions of the Act relating to the determination of the compensation and rehabilitation and resettlement to cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule to the RFCTLARR Act;

And whereas, the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2015 (4 of 2015) was promulgated on 3–4–2015 to give continuity to the provisions of the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2014;

And whereas, the RFCTLARR (Amendment) Second Ordinance, 2015 (5 of 2015) was promulgated on 30–5–2015 to give continuity to the provisions of the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2015 (4 of 2015);

And whereas, the replacement Bill relating to the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2015 (4 of 2015) was referred to the Joint Committee of the Houses for examination and report and the same is pending with the Joint Committee;

And whereas, as per the provisions of Article 123 of the Constitution, the RFCTLARR (Amendment) Second Ordinance, 2015 (5 of 2015) shall lapse on the 31st day of August, 2015 and thereby placing the landowners at the disadvantageous position, resulting in denial of benefits of enhanced compensation and rehabilitation and resettlement to the cases of land acquisition under the 13 Acts specified in the Fourth Schedule to the RFCTLARR Act as extended to the landowners under the said Ordinance;

And whereas, the Central Government considers it necessary to extend the benefits available to the landowners under the RFCTLARR *Act to similarly placed landowners whose lands are acquired under the 13 enactments specified in the Fourth Schedule*; and accordingly the Central Government keeping in view the aforesaid difficulties has decided to extend the beneficial advantage to the landowners and uniformly apply the beneficial provisions of the RFCTLARR Act, relating to the determination of compensation and rehabilitation and resettlement as were made applicable to cases of land acquisition under the said enactments in the interest of the landowners;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub–section (1) of Section 113 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:

1. (1) This Order may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Removal of Difficulties) Order, 2015.

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of September, 2015.

2. The provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule, rehabilitation and resettlement in accordance with the Second Schedule and infrastructure amenities in accordance with the Third Schedule shall apply to all cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule to the said Act.

[F. No. 13011/01/2014–LRD]

K.P. Krishnan, Addl. Secy."

48. It is thus clear that the Ordinance as well as the notification have applied the principle contained in *Nagpur Improvement Trust* [*Nagpur Improvement Trust* v. *Vithal Rao*, (1973) 1 SCC 500] , as the Central Government has considered it necessary to extend the benefits available to landowners generally under the 2013 Act to *similarly placed* landowners whose lands are acquired under the 13 enactments specified in the Fourth Schedule, the National Highways Act being one of the aforesaid enactments. This being the case, it is clear that the Government has itself accepted that the principle of *Nagpur Improvement Trust* [*Nagpur Improvement Trust* v. *Vithal Rao*, (1973) 1 SCC 500] would apply to acquisitions which take place under the National Highways Act, and that solatium and interest would be payable under the 2013 Act to persons whose lands are acquired for the purpose of National Highways as they are similarly placed to those landowners whose lands have been acquired for other public purposes under the 2013 Act. This being the case, it is clear that even the Government is of the view that it is not possible to discriminate between landowners covered by the 2013 Act and landowners covered by the National Highways Act, when it comes to compensation to be paid for lands acquired under either of the enactments....."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में ब्याज की गणना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम के अनुसार की जायेगी। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुपालन में प्रस्तुत मामले में धारा–72 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम लागू न होने के सम्बन्ध में निर्णीतऋणीगण का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

10. डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कर कथन किया गया है कि वे धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ब्याज पाने के अधिकारी हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक वाद में पारित स्थगन आदेश के आधार पर प्रत्येक वाद में स्थगन नहीं माना जा सकता है।

11. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि के सम्बन्ध में धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम लागू होने के विषय पर मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनेकों वादों में स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। अतः डिक्रीदार इस स्तर पर धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज की माँग नहीं कर सकता।

12. जहाँ तक धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज प्रदान किये जाने का प्रश्न है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी सं०–11417/2023 बलवान सिंह एवं अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य तथा रिट सी सं०–18478/2023 विकास गोयल आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 16.12.2023 द्वारा आदेश पारित किया गया कि धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले अधिग्रहण पर लागू होगा। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत Special Leave to Appeal No. 8422/2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 29.07.2024 द्वारा वाद की कार्यवाही को स्थगित किया गया। तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट सी सं०–32019/2024 फतेह मोहम्मद बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांकित 25.11.2024 व रिट सी सं०–37038/2025 श्री ब्रिक्स बनाम भारत संघ व 5 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.10.2025 में निष्कर्ष दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के लागू होने के विषय पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.12.2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय में

चुनौती दी गयी है। अतः मामले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है तथा पक्षकारों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित उक्त मामले के निर्णीत होने के पश्चात वह दिनांक नियत करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

13. इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के लागू होने के विषय पर मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित होने के आधार पर उक्त बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वादों की कार्यवाहियों को स्थगित किया गया है इन परिस्थितियों में धारा–80 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ब्याज के सम्बन्ध में डिक्रीदार माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित वाद के निस्तारण के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

14. तद्नुसार गणना रिपोर्ट कागज सं० 32ग के सम्बन्ध में डिक्रीदार की आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णीतऋणीगण की प्रति आपत्ति निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

15. गणना रिपोर्ट कागज सं० 32ग के सम्बन्ध में डिक्रीदार की आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा निर्णीतऋणीगण की प्रति आपत्ति निस्तारित की जाती है तथा सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश में दिये गये निष्कर्ष प्रकाश में पुनः गणना करके गणना रिपोर्ट दिनांक 02.05.2026 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 02.05.2026 को पेश हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632